राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ–5/अभि/सीटीएडी/विद्यालयो मे प्रयोगशाला निर्माण/18–19/6196-209 दिनांक : 02/03/2020

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
बांसवाडा।

विषय : बांसवाडा जिले में राजकीय महाविद्यालयो मे विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 30345–54 दिनांक 02.08.2019 द्वारा बांसवाडा जिले में राजकीय महाविद्यालयो मे विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना कार्य हेतु राशि रू. 50.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना को नियुक्त किया गया।

कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या–3 मे वर्णित कार्यो हेतु कॉलम संख्या–6 मे वर्णित राशि की निम्नानुसार संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी–स्वच्छ परियोजना

(राशि लाखो मे)

क्र.स.	प.स.	नाम व स्थान	स्वी.राशि	तकनीकी स्वीकृति	
				क्र/दि	राशि
1	2	3	4	5	6
1	बांसवाडा	लेब निर्माण श्री गोविंद गुरू राजकीय महाविद्यालय बांसवाडा	20.00	PO/SWACH /BSW /29/04.10.2019	24.94
2	कुशलगढ	लेब निर्माण मामा बालेश्वर दयाल महाविद्यालय कुशलगढ, बांसवाडा	15.00	PO/SWACH /BSW /30/04.10.2019	17.91
3	बांसवाडा	लेब निर्माण हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाडा	15.00	PO/SWACH /BSW /31/04.10.2019	15.00
		योग	**50.00**		**57.85**

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति सं–77/18–19 जयपुर द्वारा Construction and development of laboratory in 113 newly upgraded Sr. Secondary Schools in Government Sr. Sec schools, colleges and other educational instiutions. हेतु प्राप्त राशि रू. 1619.72 लाख मे से होगा। यह राशि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध है।

शर्त–

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्त्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी कार्यादेश से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का गुणवत्तापूर्वक सम्पादन किया जावें।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत कार्यो का third party inspection समय–समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी। कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करावे।

कृ.पृ.उ.

5. विभागीय अभियंताओ एवं प्लेसमेंट के माध्यम से आई.टी.डी.पी. अन्तर्गत कार्यरत अभियंताओ के माध्यम से कार्यो का समय–समय पर निरीक्षण करवाया जावेगा।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
7. कार्य पूर्णता पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।

भवदीय

-sd-

(शिवांगी स्वर्णकार)I.A.S

आयुक्त

क्र. एफ–5/अभि/सीटीएडी/विद्यालयो मे प्रयोगशाला निर्माण/18–19/6196-209 दिनांक : 02/03/2020

प्रतिलिपि–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
4. निदेशक/परियोजना प्रबंधक स्वच्छ परियोजना उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा शासन की स्वीकृति सं–77/18–19 जयपुर द्वारा Construction and development of laboratory in 113 newly upgraded Sr. Secondary Schools in Government Sr. Sec schools, colleges and other educational instiutions. हेतु प्राप्त राशि रू. 1619.72 लाख मे से राशि रू. 57.85 लाख की 80 प्रतिशत राशि रू. 46.28 लाख (अक्षरे छियालीस लाख अठाईस हजार मात्र) निदेशक स्वच्छ परियोजना उदयपुर को हस्तांतरित करे। यह राशि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध है।
6. प्राचार्य राजकीय, मामा बालेश्वर दयाल राजकीय राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ जिला बांसवाडा।
7. प्राचार्य राजकीय श्री गोविंद गुरू राजकीय महाविद्यालय, बांसवाडा।
8. प्राचार्य राजकीय, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाडा।
9. परियोजना अधिकारी स्वच्छ परियोजना बांसवाडा ।
10. निदेशक मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
11. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स :0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @ gmail.com Website www.tad.rajasthan.gov.in

15